



Government of Rajasthan  
National Health Mission, Rajasthan  
Department of Medical, Health & FW, Swasthya Bhawan, Jaipur  
Tel. No. 0141-2221590, Email ID: md-nrhm-rj@nic.in

F.32(117)/NRHM/CSR/IHRMS/Part-III 591

Date: 19/02/19  
अति-आवश्यक

सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति एवं  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (समस्त),  
राजस्थान।


**विषय –CHRIS सॉफ्टवेयर द्वारा संविदा कार्मिको (एनएचएम) को मासिक मानदेय भुगतान एवं सूचनाओं का अद्यतन करने बाबत।**

सन्दर्भ- 572 दिनांक 01/02/2019, 571 दिनांक 01/02/2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित पत्रों के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले में कार्यरत समस्त संविदा कार्मिको (एनएचएम) को मासिक भुगतान CHRIS सॉफ्टवेयर से स्वीकृति (Sanction Order) जारी कर PFMS के माध्यम से मानदेय का भुगतान करना सुनिश्चित किया जावे, (विशेष ध्यान रखें –बजट मद, भुगतान का प्रकार का अद्यतन) ताकि भारत सरकार को भुगतान की सूचना Direct Benefit Transfer (DBT) पोर्टल के माध्यम से प्रेषित की जा सके।


**इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।**

सलंगन:- उपरोक्तानुसार।

  
निदेशक (वित्त),  
एनएचएम

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, चि0स्वा0प0क0 एवं मिशन निदेशक, एनएचएम।
2. निजी सहायक, शासन संयुक्त सचिव एनएचएम।
3. निजी सहायक, निदेशक (वित्त), एनएचएम।
4. निजी सहायक, परियोजना निदेशक, एनएचएम।
5. राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक, एनएचएम।
6. SNO (HR)/ SO (HR), NHM
7. State Demographer, DM&HS
8. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।

  
संयुक्त निदेशक (वित्त),  
एनएचएम